

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सामान्य  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—सब-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्रकाशक से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533]  
No. 533]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2008/श्रावण 8, 1930  
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2008/ASHWINA 8, 1930

विद्युत मंत्रालय  
अभिसूचना

MINISTRY OF POWER  
NOTIFICATION

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2008

New Delhi, the 29th September, 2008

आ.सं.सं. 700(अ).—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत अपील अधिकरण, (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम प्रकाशित हैं:—

G.S.R. 700(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Appellate Tribunal for Electricity (Salaries, Allowances and other conditions of service of Chairperson and Members) Rules, 2004, namely:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत अपील अधिकरण (आय, भत्ते और सेवा शर्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों) संशोधन नियम, 2008 है।

1. (1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Electricity (Salaries, Allowances and other conditions of service of Chairperson and Members) (Amendment) Rules, 2008.

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. विद्युत अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों) नियम, 2004 के नियम 9 से "विद्युत मंत्रालय के सारसोपम मंत्री के समक्ष" शब्दों का उल्लेख किया जाएगा।

2. In the Appellate Tribunal for Electricity (Salaries, Allowances and other conditions of service of Chairperson and Members) Rules, 2004, in Rule 9, the words "before the Minister in charge of the Ministry of Power" shall be omitted.

[आ. सं. 46/7/2007—आर एंड आर]  
सत्य श्रीवास्तव, निदेशक

[F. No. 46/7/2007-3&R]  
MALAY SHRIVASTAVA, Director

टिप्पणी:—यूएन नियम भारत की राजपत्र में, तारीख 13 अप्रैल, 2004 को आ.सं.सं. 259(अ) तारीख 13 अप्रैल, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

Note: The Principal Rules were published vide G.S.R. 259(E), dated the 13th April, 2004 in the Gazette of India and the 13th April, 2004.